

2018/00409

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तालीम
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

9.2024

पत्रावली पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1462,1485 निर्णय दिनांक 23.12.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा निर्णित किया गया है, जिसकी तार्ईद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण संख्या से होती है। राजस्व (ग्रुप-06) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक 5(8) राजस्व-6/97 दिनांक 19.09.2006 एवं 27.01.2007 के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1) के तहत तहसीलदार द्वारा निर्णित अविवादित नामान्तरकरण की अपील सुनवाई के अधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75(1)(ए) में अंकित प्रावधानों के अनुसार जिला कलेक्टर महोदय को है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत अपील की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय का प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत अपील में कार्यवाही इस स्तर पर ड्रॉप की जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में इस न्यायालय में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर मूल पत्रावली श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, को प्रेषित की जाती है। पत्रावली का मुसन्ना कायम किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावे, तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे।

